

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(121)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 03.10.2013

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ० अधोक्षज जोशी, जिनकी जन्मतिथि 24.10.1972 है एवं मेरिट क्रमांक एम-20/ए सामान्य है, को सहायक आचार्य, निश्चेतन के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13-03-2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे।

इस नियुक्ति पर डॉ० जोशी का पदस्थापन मेडिकल कालेज, कोटा में सहायक आचार्य, निश्चेतन के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत है, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

आज्ञा से,



(हरी बाबू शर्मा)

उप शासन सचिव (समन्वय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(24)भर्ती/गोपनीय/2010-11/263 दिनांक 02.09.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कोटा।
6. डॉ० अधोक्षज जोशी, ए-18, लक्ष्मी नारायण पुरी, सूरजपोल, जयपुर (राज.) पिनकोड 302003 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(ए.एच. असारी)

शासन सहायक सचिव